संख्या-358/2025/I/1150463/2025/23-6099/194/2025

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक 21 नवम्बर, 2025

विषय:- राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अन्तर्गत आजमगढ़ क्षेत्र के जनपद मऊ के 01 सेतु, पहुंच एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण हेतु व्यपगत (लैप्स) धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-267210/2025, दिनांक 09.09.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत आजमगढ़ क्षेत्र के जनपद मऊ के 01 सेतु, पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण हेतु व्यपगत (लैप्स) हो जाने के दृष्टिगत उक्त धनराशि का पुनः आवंटन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न तालिका के कॉलम- 3 में अंकित कार्यों की धनराशि आहरित न हो पाने के कारण लैप्स हो गयी है, के सापेक्ष विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा कोषागार के अनाहरण प्रमाण पत्र सहित उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में उक्त सेतुओं, पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य की व्यपगत कुल धनराशि रू0 120.75 लाख (रूपये एक करोड़ बीस लाख पचहत्तर हजार मात्र) को वित्तीय वर्ष 2024-25 में निम्नलिखित विवरणानुसार/शर्तों के अधीन पुनः अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रं0	कार्य का नाम	शासनादेश संख्या	प्रशासकीय/ वित्तीय/बचत/ अवशेष	अब तक कुल आवंटन	व्यपगत धनराशि	व्यपगत धनराशि के सापेक्ष मांग	वर्ष 2025-26 में पुन: आवंटन		
							अनु0-57	अनु0-83	योग (8 +9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जनपद मऊ में विकास खण्ड रतनपुरा, ग्राम पिपर साथ के निकट गोदामघाट पर पीपे के पुल के निर्माण कार्य।	59/2021/ 347/ 23- 10-21-83 (सेतु)/ 2020, दि0- 25.03.2021	33.54 33.54 2.50 31.04	1.68	29.36	29.36	23.13	6.23	29.36
कुल योग							23.13	6.23	29.36

नियम व शर्तें/ प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) राज्य योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सेतु की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) किसी भी स्थिति में कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न होने दी जाये एवं कार्य के सम्परीक्षित लेखा निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत कार्यालय महालेखाकार एवं शासन को उपलब्ध कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) भविष्य में चालू कार्यों पर आवंटित धनराशि का समय से उपभोग सुनिश्चित किया जाये और कोई भी धनराशि लैप्स न होने पाये।

(5) उक्त सेतु निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र, क्वालिटी मानीटरिंग प्रमाण पत्र एवं जियो टैगिंग के साथ उनके सुस्पष्ट स्थलीय रंगीन फोटोग्राफस, सक्षम अधिकारी के नाम, पदनाम व हस्ताक्षर सहित शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/ बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04.03.2024 एवं यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024 दिनांक 19.06.2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व उक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किये जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के आनलाइन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुये सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27-03-2025 मे में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(10) यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव व सूचनाओं में कोई विसंगति/त्रुटि पायी जाती है, तो इसके लिए मुख्यालय/निगम/क्षेत्र के संबंधित अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त मुख्यालय/निगम/ क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों द्वारा यदि किसी प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा ली जाती है अथवा व्यपगत धनराशि को चालू कार्य के रूप में स्वीकृत करा लिया जाता है, तो उनके विरूद्व कठोर कार्यवाही के साथ ही यथापेक्षित धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 23,13,000 (रुपये तेईस लाख तेरह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041010421 कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 6,23,000 (रुपये छह लाख तेईस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047891400 कृषि विपरण सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शिव कुमार)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(3) संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी।
(4) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग।
(5) मुख्य अभियंता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
(7) वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(8) मुख्य कोषाधिकारी, आर्दश कोषागार, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
(9) संबंधित कोषाधिकारी।
(10) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(11) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2
(12) संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी, लोक निर्माण विभाग ।
(13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।